



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1595]
No. 1595]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2187(अ)—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 81) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 की का.आ.सं.1090(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

जोन "डी" में रेस कोर्स रोड(45 मीटर मार्गाधिकार) के 19668 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन "डी" में 45 मीटर मार्गाधिकार वाले रेस कोर्स रोड	19668 वर्ग मीटर	संरक्षित/रोड	आवासीय (प्रधानमंत्री के सरकारी आवास)	पूर्व- मनोरंजनात्मक(जिम खाना क्लब) पश्चिम- आवासीय (7 रेस कोर्स रोड कॉम्प्लेक्स) उत्तर/पश्चिम- आवासीय रोड और तीन मूर्ति मार्ग का चौराहा दक्षिण- क्लब रोड(36.57 मीटर मार्गाधिकार)

[फा.सं. के-13011/3/2004-डी डी। बी]

पी. के. खन्ना, जवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

S.O. 2187(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1690 (E) dated 1st October 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 19668 sqm of Race Course Road (45 m R/W) in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Race Course Road 45m R/W in Zone-D	19668 sqm	Circulation/Road	Residential (Official Residence of the Prime Minister)	East - Recreational (Gymkhana Club) West - Residential (7 Race Course Road Complex) North/West - Junction of Akbar Road and Teen Murti Marg South - Club Road 36.57m R/W

[F. No. K-13011/3/2004-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.